न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या....23...../2021

तहसीलदार शाहपुरा बनाम गोपाल वगैरह
अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 01.12.2021

तहसीलदार शाहपुरा शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक कैम्प/2021/187 दिनांक 1.12.21 के द्वारा संलग्न निम्नांकित प्रकरणों में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि मे से नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है, तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार शाहपुरा ने रास्ते में काम आ रही भूमि को नक्शा ट्रेस में दर्ज करने की अभिशंषा की है तथा सरपंच ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द ने भी फर्द मौके में खातेदारी भूमि में रास्ता चालू होना बताया है। तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है कि उक्त रास्ता मौके पर रास्ता जा रहा है,जो काफी पुराना है तथा रास्ता सार्वजनिक हित में होने से व तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा के आधार पर आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की खातेदारी भूमि में से (नजरी नक्शा ट्रेस के मुताबिक) कॉलम सं0 6 के अनुसार रास्ते के रूप में आ रही भूमि का रकबा नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की भूमि नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे।

क0 सं0	नाम राजस्व ग्राम	ख0नं0	कुल रकबा	किस्म	रास्ते/सड़क दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7
1	छापुडा कलां	489	3.79 है0	बारानी 3	0.0365 है0	

आज दिनांक 01.12.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प छापुडा खुर्द में सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)